

5596

5487.5

# भारतीय गैर न्यायिक

पाच रुपये



FIVE RUPEES


RS.5

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

GRN 19029 28582


झारखण्ड JHARKHAND



## विक्रय-पत्र


1. लेख्यकारीगण का नाम एवं पुरा पता:-

1. श्री राजेश मेहता } दोनों के पिता का नाम स्व० बिनेशर  
 2. श्री मदन कुमार महतो } महतो  
 3. इन्द्रपरी देवी पति का नाम स्व० ब्रजेश कुमार मेहता  
 4. गीता देवी पति का नाम स्व० संजीव कुमार मेहता
- सभी की जाति कोइरी, निवास स्थान ग्राम पंडवा, पोस्ट राजहारा



दस्तावेज लिखक लोन० 111/23

बेदिनगढ़, पटमू



9867.5  
03AA 704759

पर्याप्त जानकारी के साथ विक्रय करने वाले का नाम  
राजेश मेहता और मदन कुमार महतो  
पर्याप्त जानकारी के साथ विक्रय करने वाले का नाम  
राजेश मेहता और मदन कुमार महतो  
पर्याप्त जानकारी के साथ विक्रय करने वाले का नाम  
राजेश मेहता और मदन कुमार महतो  
पर्याप्त जानकारी के साथ विक्रय करने वाले का नाम  
राजेश मेहता और मदन कुमार महतो

21/11/18

11211

कोलयरी, थाना पंडवा, जिला पलामू झारखण्ड, पेशा कमशः खेती एवं  
गृहिणी, नागरिकता भारतीय।

PAN-ACNPM5445N, ANQPM2671J, FPBPD5913L एवं CNHPD5445C

शपथ पत्र सं० कमशः ४५३, ४५४, ४५५, ४५६ दिनांक २१.११.१९

2. लेख्यधारिणी का नाम एवं पूरा पता:-

श्रीमति बसंती देवी पति का नाम श्री दिनेश्वर साव, जाति सुढी, निवास स्थान ग्राम लामी, पोस्ट लामीपतरा, थाना पंडवा, जिला पलामू झारखण्ड, पेशा गृहिणी, नागरिकता भारतीय। PAN- ७A WPD 55106  
शपथ पत्र सं० ४५७ दिनांक २१.११.१९

3. लेख्य प्रकार:- विक्रय पत्र (Sale Deed)

4. मूल्यः— (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यः— मो० १३,८२,०००/-  
(तेरह लाख बेरासी हजार) रूपये मात्र, जिसमें जमीन का ११,८२,०००/-  
रु० एवं चाहरदिवारी का २,००,०००/-रु० है।

(ख) देय मूल्यः— मो० १९,५१,०००/- (उन्नीस लाख एकावन हजार)  
रूपये मात्र।

(5) सम्पत्ति का विवरणः— मवाजी ०६ डी० (छ: डिसमील) जमीन  
चाहरदिवारी के अन्दर मौजा निमियां अंगल कार्यालय मेदिनीनगर जिला  
पलामू। इलाके एवं जिला अवर निवन्धन कार्यालय मेदिनीनगर जिला  
पलामू हकियत लेख्यकारीगण को उत्तराधिकार में जमीन हासिल है। इस  
दस्तावेज के साथ एक नक्शा संलग्न है जिसमें बिक्री की जाने वाली  
भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है, नक्शा इस दस्तावेज का अविभाज्य  
अंग वो अंश है।

बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैः—

मौजा	थाना नं०	तौजी नं०	नगर नि० हो० नं०	वार्ड नं०
निमियां	192	51	03A0000095000M0	03

खाता नं०	प्लॉट नं०	बिक्री रकवा डी० में
1 (एक)	230 (दो सौ तीस)	०६ डी० (छ: डिसमील)

मैदान कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू  
२१.११.१९

श्रीमति बसंती देवी

२१.११.१९



मैदान कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू  
२१.११.१९

//3//

चौहदी:-

- उत्तर            :- आज के क्रेता रूपन देवी  
 दक्षिण        :- रोड  
 पूरब            :- सुमति मेहता  
 पश्चिम        :- नहर

जमीन का माप

- उत्तर से दक्षिण पूरब तरफ 34 फीट  
 उत्तर से दक्षिण पश्चिम तरफ 38 फीट  
 पूरब से पश्चिम उत्तर तरफ 75 फीट  
 पूरब से पश्चिम दक्षिण तरफ 70 फीट

वार्षिक लगान अनुमानित:- मो ० ६/- रूपये अलावे सेस।

नाम मालिक :- झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी सदर मेदिनीनगर जिला पलामू।

विदित हो कि उपरोक्त खाना संख्या पाँच की वर्णित सम्पत्ति लेख्यकारी नं० १ एवं २ के पिता तथा लेख्यकारी नं० ३ एवं ४ के ससूर बिनेसर महतो ने दिनांक 16.08.2014 ई० को श्री आर्य कुमार झा पिता सुधीर कुमार झा के द्वारा खरीद कर प्राप्त किये थे, जिसका केवाला नं० 7020 बुक नं० १ भौ० नं० 244 पेज नं० 185 से 204 तक है जो जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर में दिनांक 16.08.2014 ई० को निबंधित हुआ है तथा नामांतरण वाद सं० 11/2016-17 के आधार पर नामांतरण होकर डिमांड बिनेसर महतो के नाम से हो० नं० 1946 पर चलता है एवं कम्पयुटरी पंजी दो के वर्तमान भाग 14 पृष्ठ संख्या 58 पर दर्ज है।

पुनः विदित हो कि बिनेसर महतो का स्वर्गवास हो चुका है तथा दुर्भाग्यवश इनके दो पुत्र ब्रजेश कुमार मेहता तथा संजीव कुमार मेहता का भी स्वर्गवास हो चुका है। दोनों पुत्र का स्वर्गवास होने के बाद इनकी पत्नी उत्तराधिकारी हुई। यानि लेख्यकारी नं० १ एवं २ के पैतृक तथा लेख्यकारी नं० ३ तथा ४ के सौहरी हक हासिल है। उक्त भू-खण्ड पर लेख्यकारीगण का निर्विवाद रूप से दखल कब्जा चला आ

21/11/19  
 अन्त देवी  
 २०१७ का दस्तावेज़ द्वारा दिया गया है।

अन्त देवी

21/11/19

Avinash Kumar  
S/o - Brajesh Kumar, Palamau  
Mill & P.S - Pandua, Palamau

21/11/19

11411

रहा है। इस जमीन पर लेख्यकारीगण के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का स्वामित्व हक अधिकार हिस्सा अथवा दखल-कब्जा नहीं है और ना ही इस सम्पत्ति पर आज तक किसी भी प्रकार का ऋणभार अथवा वारदैन किया गया है। ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद ही है। संक्षेप में यह जमीन सभी दोषों से मुक्त है तथा ऋणभार से पूर्णतः मुक्त है।

यह कि लेख्यकारीगण को रूपये की सख्त जरूरत अपना-अपना विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बास्ते है, जिसका प्रबंध अपने-अपने पास से या अन्यत्र से कर पाने के लिए संभव प्रतित नहीं हुआ। एतएव इस संबंध में लेख्यकारीगण ने अपने-अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों से अच्छी तरह से विचार विमर्श किये और सर्वसम्मति से यही निश्चय किया कि उपर खाना संख्या पाँच में उपर वर्णित जमीन को बिक्री कर दिया जाय, इसके मूल्य से प्राप्त राशि से अपने-अपने आवश्यक कार्य को पुरा किया जाए।

लेख्यकारीगण उपर वर्णित जमीन की बिक्री की चर्चा कई व्यक्तियों के समक्ष किया तथा इस बात का प्रचार भी कराया परिणाम स्वरूप कई सम्भावित खरीदार आए सबों ने इसको अलग-अलग मूल्यांकण किये परन्तु अंत में लेख्यधारिणी ने भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आकर इसका भलि-भाँति निरीक्षण किये तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए इसका आज के बाजार भाव के मुताबिक उचित तथा अधिकतम देय मूल्य निर्धारित किये तथा इसी निर्धारित मूल्य में इसे स्वयं ही अपने नाम से हमेशा के लिए खरीदना भी स्वीकार किये। लेख्यकारीगण ने भी इस मूल्यांकण को प्रत्येक बिन्दु से उचित दिया।

यह कि देय मूल्य की पूरी राशि लेख्यधारिणी ने लेख्यकारीगण को भुगतान कर चुके हैं। अब इसके मूल्य की रकम में से लेख्यकारीगण को लेख्यधारिणी से कुछ भी पाना बाकी नहीं रह गया है। इस प्रकार से इसकी मूल्य की पूरी राशि की वसूली के साथ ही यह केवला (विक्रय पत्र) आज से पुरी तरह से असर में आ गया और इसके लेख्यकारीगण ने उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित सम्पत्ति पर से अपना-अपना सम्पूर्ण

11411  
लेख्यकारीगण  
वर्णित सम्पत्ति  
पर से अपना-अपना सम्पूर्ण

21.11.19

मुक्त हुआ



//5//

स्वामित्व तथा दखल कब्जा हटाकर इस पर खास लेख्यधारिणी को स्वामित्व तथा दखल कब्जा दे दिया। इस प्रकार से इस वर्णित सम्पति के सम्बन्ध लेख्यकारीगण को आज तक जो भी हक अधिकार तथा सुविधाएँ प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यधारिणी को प्राप्त हुए तथा अब लेख्यधारिणी को अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग कर के लाभ उठावें। इसमें अपनी इच्छानुसार घर का निर्माण करा कर अपने परिवारसहित निवास करें, चाहरदिवारी के अन्दर लावें या किराये पर लगावें अथवा जैसा उचित समझे इसका इस्तेमाल करें। इससे लेख्यकारीगण एवं इनके उत्तराधिकारीयों अथवा स्थानापन्न को कुछ भी संबंध या सरोकार नहीं रहा और न भविष्य में कभी रहेगा।

यह कि इस जमीन के संबंध में लेख्यधारिणी को चाहिए कि झारखण्ड सरकार के सिरिस्ते में इस सम्पति का दाखिल खारिज भी अंचल ऑफिस मेदिनीनगर पलामू के द्वारा स्वयं अपने नाम से करा लें तथा इसके लगान की रसीदों को भी स्वयं अपने नाम से प्राप्त किया करें।

मैंने लेख्यधारिणी को अच्छी तरह समझा दिया है कि उपर वर्णित जमीन में इसके लेख्यकारीगण के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान से ऋण इत्यादि नहीं लिया गया है। इस तथ्य के विपरीत कोई बात पायी जाती है तो इसकी भरपायी लेख्यकारीगण करने को सदैव तैयार रहेंगे।

इस दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि वन विभाग की भूमि मंदिर-मस्जिद की भूमि, भूदान से प्राप्त भूमि नहीं है तथा किसी प्रकार से प्रतिबंधित भूमि नहीं है तथा इसके हस्तान्तरण से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं हो रहा है।

लेख्यकारीगण इस विक्रय पत्र में वर्णित सभी बातों को पढ़कर एवं पढ़वाकर ठीक एवं सही लिखा पाकर अपने-अपने शरीर एवं मन की पूर्ण स्वस्थता में बिना किसी डर भय दबाव के इस दस्तावेज का निष्पादन स्वतंत्र गवाहों के समक्ष कर दे रहे हैं और निबन्धन कार्यालय

मंडल कुलाल  
मंडल २०१०-११-११  
परिवारसहित निवास करा कर  
अपने उत्तराधिकारीयों एवं समझे इसका इस्तेमाल करें।

निष्पादन

२१.१.१५




11611

से निबंधित करवा दे रहे हैं जो सम्पत्ति हस्तान्तरण का स्थायी प्रमाण रहे  
एवं समय पर काम आवे।

टंकक  
  
लव

प्र-बंधन देवी  
प्र-भूमि लेवी

21.11.19



प्र-भूमि लेवी  
प्र-बंधन देवी  
प्र-भूमि लेवी  
प्र-बंधन देवी

21.11.19



मैं छिस्त मेहना दस्तावेज अधीक्ष ला. न. 11103 स्वात मेडिनिंगर,  
भूमिकरण के दस्तावेज में भूमि-भूमि प्रक्रिया का हासा-  
चिक लगा है क्या वार्ष छाव के सभी अद्युलिमों का विश्वाग  
मेरे सामने लिया गया है ता: 21.11.19

मनसुनकर्ता → छिस्त मेहना दस्तावेज में भूमि-भूमि प्रक्रिया का  
हासा-चिक लगा है क्या वार्ष छाव के सभी अद्युलिमों का  
विश्वाग लगे अस्तित्व के प्रतीक एवं उसका दस्तावेज  
को ले निकल देवी 21.11.19